सं.ई-13011/10/2020-ति.प्र.रि./हिंदी /1563

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग
केंद्रीय जल आयोग (हिंदी अनुभाग)

कमरा संख्या - 906 (दक्षिण),
सेवा भवन, राम कृष्ण पुरम,
नई दिल्ली -110066
दिनांक 22 **दिसम्बर, 2021**

कार्यालय ज्ञापन

विषय: 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रपत्र में भरकर समय पर भिजवाने के संबंध में।

कृपया 31 दिसम्बर, 2021 को समाप्त तिमाही की राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग संबंधी प्रगति रिपोर्ट **निर्धारित प्रपत्र में भाग-I** सही-सही भरकर यथाशीघ्र हिंदी अनुभाग को भिजवा दी जाए ताकि केंद्रीय जल आयोग (मुख्यालय) की तिमाही प्रगति रिपोर्ट संकलित कर मंत्रालय को भिजवाई जा सके।

2. आपसे अनुरोध है कि उक्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट हिंदी अनुभाग को **11 जनवरी, 2022** तक **hindisec-cwc@gov.in** पर अवश्य भिजवा दी जाए।

3. रिपोर्ट भरते समय निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दें:-

क्र.सं.	मद	टिप्पणी
1.	राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात	ध्यान रहे कि धारा 3(3) के अंतर्गत संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्ट, सरकारी कागजात, संविदा, करार, अनुज्ञप्तियाँ, अनुज्ञा-पत्र, निविदा सूचनाएं अनिवार्यतः द्विभाषिक रूप में, अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों में जारी किए जाएं। इसके अलावा अन्य पत्राचार इसमें शामिल न किया जाए।
2.	हिंदी में प्राप्त पत्र (राजभाषा नियम-5)	ध्यान रहे कि राजभाषा नियम-5 के तहत हिंदी में प्राप्त सभी पत्रों का उत्तर केवल हिंदी में ही दिया जाता है।

3.	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति	केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए।
4.	भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा	'क' क्षेत्र से 'क' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है।
		'क' क्षेत्र से 'ख' क्षेत्र को लक्ष्य 100% है ।
		'क' क्षेत्र से 'ग' क्षेत्र को लक्ष्य 65% है ।
5.	तिमाही के दौरान फाइलों/दस्तावेजों पर लिखी गई टिप्पणियां।	'क' क्षेत्र में हिंदी में टिप्पणियां लिखने का निर्धारित लक्ष्य 75% है।
6.	आंकड़ों का जोड़	यह सुनिश्चित करें कि आंकड़ों का जोड़ सही है।

भवदीया,

22/12/2021

(रजिन्दर पॉल)
उप निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष: 011-29583720,
ई मेल: hindisec-cwc@gov.in

1. निदेशक, नदी प्रबंध समन्वय / जल आयोजन एवं परियोजना/ अभिकल्प एवं अनुसंधान निदेशालय केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।
2. सभी अनुभाग अधिकारी/अवर सचिव, केंद्रीय जल आयोग, नई दिल्ली।

प्रतिलिपि सूचनार्थ:-

1. अध्यक्ष, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
2. सभी सदस्य, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
3. सचिव, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।
4. संयुक्त सचिव, केंद्रीय जल आयोग के प्रधान निजी सचिव।

केन्द्रीय सरकार के मंत्रालयों/विभागों/संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्वायत्त निकायों आदि में राजभाषा हिंदी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित तिमाही प्रगति रिपोर्ट

....को समाप्त तिमाही

भाग - I (प्रत्येक तिमाही में भरा जाए)

कार्यालय का नाम और पूरा पता : ....
....

संबंधित राजभाषा अधिकारी का फोन नं. : एस.टी.डी कोड.............. फोन नं. .... ई-मेल: ....

1. राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत जारी कागजात

[इनमें संकल्प, सामान्य आदेश, नियम, अधिसूचनाएं, प्रशासनिक व अन्य रिपोर्टें, प्रेस विज्ञप्तियां, संसद में रखी जाने वाली प्रशासनिक तथा अन्य रिपोर्टें, सरकारी कागजात, संविदाएं, करार, अनुज्ञप्तियां, अनुज्ञा पत्र, निविदा सूचनानिविदा प्रपत्र/, नोटिस आदि शामिल हैं, जिन्हें द्विभाषी रूप में ही जारी किया जाए]

(क) जारी कागजात की कुल संख्या : ____________

(ख) द्विभाषी रूप में जारी कागजात की संख्या : ____________

(ग) केवल हिन्दी में जारी किये गये कागजात : ____________

(घ) केवल अंग्रेजी में जारी किये गये कागजात : ____________

2. हिंदी में प्राप्त पत्र [राजभाषा नियम - 5 (लक्ष्य 100%)]

[राजभाषा नियम, 1976 के नियम 5 के अंतर्गत हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में ही दिया जाए।]

(क) हिंदी में प्राप्त कुल पत्रों की संख्या : ____________

(ख) इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए : ____________

(ग) इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए गए : ____________

(घ) इनमें से कितनों के उत्तर दिए जाने अपेक्षित नहीं थे : ____________

3. अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिंदी में दिए जाने की स्थिति (केवल 'क' एवं 'ख' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के लिए)

क्षेत्र	अंग्रेजी में प्राप्त पत्रों की संख्या =3+4+5	इनमें से कितनों के उत्तर हिंदी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अंग्रेज़ी में दिए गए	इनमें से कितनों के उत्तर अपेक्षित नहीं थे	हिन्दी में उत्तरित पत्रों का प्रतिशत =3x100/(2-5)
1	2	3	4	5	6
'क' क्षेत्र से	....	....	....	....	....
'ख' क्षेत्र से	....	....	....	....	....

4. भेजे गये मूल पत्रों का ब्योरा :-

क्षेत्र	हिंदी में	अंग्रेजी में	भेजे गए पत्रों की कुल संख्या =2+3	हिन्दी में भेजे गए पत्रों का प्रतिशत =2x100/4	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =5-6	
						वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7	8
'क' क्षेत्र को	....	....	....	....	....	....	....
'ख' क्षेत्र को	....	....	....	....	....	....	....
'ग' क्षेत्र को	....	....	....	....	....	....	....

क क्षेत्र : उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखण्ड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ राज्य और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र।

ख क्षेत्र : महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब राज्य और चण्डीगढ़, दमण और दीव तथा दादरा एवं नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र।

ग क्षेत्र : क और ख क्षेत्रों में शामिल न किए गए सभी राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र।

5. फाइलों/दस्तावेजों पर तिमाही के दौरान लिखी गई टिप्पणियां

हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	अंग्रेज़ी में लिखी गई टिप्पणियों की संख्या	कुल टिप्पणियों की संख्या =1+2	हिंदी में लिखी गई टिप्पणियों का प्रतिशत =1x100/3	पिछले तिमाही का प्रतिशत	प्रगति प्रतिशत में =4-5	
					वृद्धि	कमी
1	2	3	4	5	6	7
....	....	....	....	....	....	....

6. हिंदी कार्यशालाएं (केवल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भरा जाना है)

तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशाला की तिथि	तिमाही के दौरान पूर्ण दिवसीय आयोजित कार्यशालाओं की संख्या	इनमें प्रशिक्षित कार्मिकों की संख्या		
		अधिकारी	कर्मचारी	कुल संख्या
1	2	3	4	5
....	....	....	....	....

नोट: कार्यालय में समस्त कार्मिकों को 2 वर्ष में कम से कम एक बार प्रशिक्षित किया जाना आवश्यक है।

7. विभागीय/संगठनीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक के आयोजन की तिथि :
(केवल क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा भरा जाना है)

(क) राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक की तिथि (केंद्रीय प्रधान कार्यालय की : ....

(ख) अधीनस्थ कार्यालयों में गठित राजभाषा कार्यान्वयन समितियों की संख्या : ....

(ग) इस तिमाही में आयोजित बैठकों की संख्या : ....

(घ) बैठकों से संबंधित कार्यसूची और कार्यवृत्त क्या हिंदी में जारी किए गए? : हां / नहीं

8. हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक के आयोजन की स्थिति : ....
(केवल मंत्रालयों/विभागों के लिए)

9. तिमाही में किए गए उल्लेखनीय कार्य/ उपलब्धियों का संक्षिप्त विवरण (अधिकतम 250 कैरेक्टर)

10. उल्लिखित आंकड़ों की सत्यता के संबंध में प्रमाण-पत्र संलग्न है।

मंत्रालय/संगठन की राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम: ....

पदनाम : ....

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर : ....

फैक्स नम्बर : ....

ई मेल का-पता : ....

नोट: कोई भी कॉलम खाली न छोड़ा जाए और सूचना स्पष्ट रूप से दी जाए।

संलग्नक

प्रमाण-पत्र

कार्यालय कोड : ....   वित्तीय वर्ष : ***2021-2022***

"मैं यह प्रमाणित करता हूं कि संलग्न____________*2021* को समाप्त तिमाही प्रगति रिपोर्ट (भाग-1/2) में दी गई सूचना उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर बनाई गई है तथा मेरी जानकारी के अनुसार पूर्णतया सत्य है। मैं यह अच्छी तरह समझता हूं कि राजभाषा अधिनियम एवं राजभाषा नियम 1976 के उपबंधों में दिए गए निदेशों के समुचित अनुपालन की ज़िम्मेदारी अधोहस्ताक्षरी की है। यदि किसी स्टेज पर रिपोर्ट में भरे गए आंकड़े असत्य अथवा बढ़ा-चढ़ा कर दिखाए गए पाए जाते हैं तो इस कार्यालय को अगले 03 वर्षों के लिए राजभाषा पुरस्कार से वंचित कर दिया जाएगा तथा गलत सूचना देने के लिए कार्रवाई हेतु मामला मेरे नियंत्रक कार्यालय/मंत्रालय के संज्ञान में भी लाया जाएगा।"

(मुहर सहित हस्ताक्षर)

विभागीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष का नाम : ....

पदनाम : ....

एसटीडी कोड सहित फोन नम्बर : ....

फैक्स नम्बर : ....

ई-मेल का पता : ....

तिथि:-

स्थान:-

नोट - उक्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की पी.डी.एफ. सॉफ्टकापी तिमाही प्रगति रिपोर्ट के साथ अनिवार्य रूप से लोड की जाए, अन्यथा आपकी रिपोर्ट अधूरी समझी जाएगी।